संख्या-18/2024/524ई-2/तेरह-2024-1807604

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 08 जून, 2024

विषयः-मे. आरती डिस्टिलरीज प्रा.लि., ग्राम चिरौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की क्षमता 125 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 165 कि.ली. प्रतिदिन निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-5/दो-प्रा.डी.-217/मे. आरती डिस्टिलरीज**, दिनांक 12-04-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में** गठित समिति की बैठक दिनांक 21-05-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-482ई-2/तेरह-2024-1807604, दिनांक 28-05-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 12-04-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 17 एवं 18 एवं शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स आरती डिस्टिलरीज प्रा.लि., ग्राम चिरौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद- कानपुर देहात में वाश में अल्कोहल प्रतिशत बढ़ने, यीस्ट की गुणवत्ता तथा फरमेन्टर की क्षमता के सापेक्ष अधिक वाश भरे जाने का प्रतिशत बढ़ाये जाने पर तथा तकनीकी निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर एवं राजस्व हित में आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 125 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में350 कार्यदिवस के आधार पर 437.5 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 165 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में350 कार्य दिवस के आधार पर 577.50 लाख लीटर वार्षिक किये जाने, जिसमें 90 प्रतिशत पेय एवं शेष 10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिशत औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) आसवनी द्वारा ग्रेन से एथनॉल उत्पादन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 26.03.2021 का अनुपालन किया जायेगा तथा ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(2) आसवनी द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार लाइसेंस फीस जमा की जायेगी।

(3) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) आसवनी को स्वीकृत पी.डी-2 अनुज्ञापन की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(7) आसवनी द्वारा कोई नया संयत्र स्थापित किये बिना ही पूर्व से स्थापित संयत्र की अधिष्ठापित क्षमता में 125 किलो लीटर प्रतिदिन से 165 किलोलीटर प्रतिदिन वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि आसवनी द्वारा कोई नया संयत्र स्थापित किये बिना ही अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि का अनुरोध किया गया है, अत: स्पष्ट है कि आसवनी की वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता प्रारम्भ से ही आसवक द्वारा क्षमता वृद्धि हेतु किये गये वर्तमान अनुरोध के अनुसार थी। उक्त के दृष्टिगत आसवनी के संचालन हेतु पी.डी.-2 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की तिथि से आसवनी की 165 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के आधार पर वार्षिक क्षमता का आगणन करते हुये पी.डी.-2 अनुज्ञापन की अंतर की धनराशि तथा प्रत्येक वर्ष के लिये पेनाल्टी/दण्ड के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(8) इस संदर्भ में लागू अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की जिम्मेदारी आबकारी आयुक्त की होगी।

(9) अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया न हो।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या:18/2024/524(1)ई-2एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
(7) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।